डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर

क्रमांक प.4(3)परीक्षा–आयोजन/अविवि/2023–24/9402 दिनांकः–17.8.2023.

आवश्यक सूचना

डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर के विधि पाठ्यक्रमों की परीक्षायें राजस्थान राज्य स्थित विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर संचालित हैं। विश्वविद्यालय में नकल व अनुचित साधनों के प्रयोग की रोकथाम के लिए राज्य सरकार द्वारा पारित **"सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 1992"** प्रभावी है। इस अधिनियम के अन्तर्गत परीक्षा केन्द्रों पर नकल/अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले परीक्षार्थियों व इस कार्य में सहयोग करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध इस अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने को विश्वविद्यालय व परीक्षा केन्द्राधीक्षक सक्षम होंगे। नकल/अनुचित साधनों के प्रयोग करने वाले परीक्षर्थियों/व्यक्तियों को इस अधिनियम के तहत **तीन वर्ष तक का कारावास या नियत राशि तक जुर्माना या दोनों दण्ड** एक साथ दिये जा सकते हैं। साथ ही **विभिन्न सार्वजनिक भर्ती परीक्षाओं में बैठने से भी परीक्षार्थी/व्यक्ति को रोका जा सकता है।** परीक्षा केन्द्र पर पकडे गये अनुचित साधनों के सभी मामलों पर परीक्षा केन्द्राधीक्षक विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराने की कार्यवाही करेंगे।

एतदर्थ सभी परीक्षार्थियों/व्यक्तियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा के दौरान नकल/अनुचित साधनों का प्रयोग ना करें।

समस्त परीक्षार्थी सचेत रहें कि अनुचित साधनों के प्रयोग की रोकथाम के लिए विश्वविद्यालय परीक्षा केन्द्रों पर आकस्मिक/औचक निरीक्षण करने के लिए विश्वविद्यालय की ओर से उड़नदस्तों का गठन किया गया है। आकस्मिक/औचक निरीक्षण के दौरान विभिन्न परीक्षा केन्द्रों से अनुचित साधनों के प्रयोग के प्रकरण दर्ज हो रहे हैं। जिन पर उक्त अधिनियम के प्रावधानुसार व विश्वविद्यालय में अंगीकृत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

अतः समस्त परीक्षार्थियों व व्यक्तियों को पुनः सलाह दी जाती है कि वे किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों के प्रयोग से बचें व अपनी परीक्षा पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से देवें ।

शुभकामना सहित !

(डॉ. नीरज जैन)
परीक्षा नियंत्रक